राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या : 2240, 2241,2242 एवं 2243/2015..... जिला : जयपुर

मैसर्स– राशी पैरीफैरल्स प्रा.लि.,जयपुर व वाणिज्यिक कर अधिकारी,प्रतिकरापवंचन,राज.,वृत–द्वितीय, जयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
29.12.2015	**खण्डपीठ** **श्री सुनील शर्मा, सदस्य** **श्री ईश्वरीलाल वर्मा,सदस्य** अपीलार्थी की ओर से श्री पंकज घीया एवं विभाग की ओर से श्री एन.के.बैद राजकीय अभिभाषक उपस्थित। अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से ये तीनों अपीलें मय स्थगन प्रार्थना पत्र अपीलीय प्राधिकारी–द्वितीय, वाणिज्यिक कर विभाग,जयपुर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी"कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 236, 237, 238 व 239/अ.प्र.–।।/ आरवीएटी/ जयपुर/2015–16 पारित संयुक्तादेश दिनांक 10.12.2015, जो कि राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 82 के तहत् पारित किया गया हैं, के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। उक्त आदेश में अपीलीय अधिकारी द्वारा वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, राजस्थान,वृत–द्वितीय,जयपुर (जिसे आगे "निर्धारण अधिकारी" कहा गया है) द्वारा पारित पृथक–पृथक कर निर्धारण आदेश दिनांक 17.07.2015, जो अधिनियम की धारा 26, 55,61 व 65 के तहत् वर्ष 2009–10, 2010–11, 2011–12 एवं 2012–13 के लिए पारित किये गये हैं, में आरोपित कर,ब्याज एवं शास्तियॉ आरोतिप की गई है। अपीलीय अधिकारी ने आरोपित शास्तियों को अपास्त कर कर एवं ब्याज को यथावत रखा है। अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से निम्न तालिका के अनुसार आरोपित कर एवं ब्याज को स्थगित करने का निवेदन किया है :–	

अ.सं.	कर	ब्याज	कुल राशि	स्थगन हेतु आवेदित राशि
2240/15	176157/–	123311	299468/–	299468/–
2241/15	275160/–	159593/–	434753/–	434753/–
2242/15	570673/–	262510/–	833183/–	807924/–
2243/15	418485	142285/–	560770/–	513587/–

प्रकरणों के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अपीलार्थी फर्म का सर्वेक्षण किये जाने पर आलौच्य वर्ष 2009–10, 2010–11, 2011–12 व 2012–13 के दौरान पाया गया कि व्यवहारी द्वारा मोबाइल/नोटबुक/ लेपटॉप के चार्जर/एडोप्टर की बिक्री की गई है,जिस पर उसके द्वारा 4/5 प्रतिशत की दर से कर वसूल किया गया, परन्तु कर निर्धारण अधिकारी ने अधिनियम की धारा 26, 55 एवं 61 के अन्तर्गत पृथक–पृथक आदेश दिनांक 17.07.2015 को पारित करते हुए उक्त वस्तुओं को 12.5/14 प्रतिशत की दर से कर योग्य मानते हुए अन्तर कर, ब्याज आरोपित किया तथा करापवंचन किये जाने के कारण अधिनियम की धारा 61 के अन्तर्गत कर की दोगुनी शास्ति आरोपित करते हुए मांग सृजित की गई है। अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से सृजित मांग के विरूद्ध अपीलें प्रस्तुत करने पर अपीलीय अधिकारी द्वारा आरोपित शास्तियों को अपास्त करते हुए आरोपित कर एवं ब्याज को यथावत रखा

है। अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से यथावत रखी गयी राशियों को (उपरोक्त तालिका के अनुसार आवेदित राशियों) को स्थगित रखे जाने हेतु ये तीनों अपीलें मय स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत की गई हैं।

अपीलार्थी व्यवसायी द्वारा स्थगन प्रार्थना पत्र पर अपने तर्को में कथन किया गया है कि विवादित वस्तुयें मोबाइल/नोटबुक/ लेपटॉप के चार्जर/एड़ोप्टर की बिक्री की 4/5 प्रतिशत की दर से की गई है जबकि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा उक्त वस्तुओं की बिक्री को 12.5/14 प्रतिशत से कर योग्य मानकर मांग सृजित की गई है,जो विधि सम्मत नहीं है। उनका कथन है कि विद्वान अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपीलें प्रस्तुत करने पर उन्होंने अधिनियम की धारा 61 के अन्तर्गत आरोपित शास्तियों को अपास्त करते हुए कर एवं ब्याज को यथावत रखा है,जो उचित नहीं है। उन्होंने प्रथम दृष्टया प्रकरण एवं सुविधा सन्तुलन अपीलार्थी व्यवहारी के पक्ष होने का का कथन करते हुए अपीलीय अधिकारी के आदेश में यथावत रखी गई राशियों की वसूली को अपील निर्णय तक स्थगित रखे जाने का निवेदन किया ।

प्रत्यर्थी–पक्ष की ओर से उपस्थित विद्वान उप राजकीय अभिभाषक द्वारा स्थगन प्रार्थना पत्रों का विरोध किया गया।

उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेश का अध्ययन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया जिससे ज्ञात होता है कि विद्वान अपीलीय अधिकारी प्रकरण में विवादित मोबाइल/नोटबुक/ लेपटॉप के चार्जर/एडोप्टर के नाम वस्तु की, कर की दर का विवाद अपीलों में अंतर्ग्रस्त (involve) है। प्रकरणों के समस्त तथ्यों पर विचार करने के पश्चात अपीलों के गुणावगुण को प्रभावित किये बिना अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा उपरोक्त तालिका के अनुसार स्थगन हेतु आवेदित राशियों के सम्बन्ध में कर निर्धारण अधिकारी के सन्तोष के अनुरूप समुचित जमानत (Adequate Security) प्रस्तुत करने की शर्त पर वसूली कार्यवाही को आगामी तारीख पेशी तक स्थगित रखा जाता है। उक्त आदेश की पालना के अभाव में, रोक आदेश स्वतः ही निष्प्रभावी समझा जावेगा।

कर निर्धारण अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी का रेकार्ड अविलम्ब मंगवाया जाये। मिसल वास्तें बहस खण्डपीठ कैम्प जयपुर के समक्ष दिनांक 15.03.2016 को पेश हो।

29-12-2015

(ईश्वरी लाल वर्मा)
सदस्य

(सुनील शर्मा)
सदस्य